Airo International Research Journal
Volume XX, ISSUE: 1
ISSN: 2320-3714
October 2020

Multidisciplinary
Peer Reviewed Indexed Journal
Impact Factor 5.68

भारतीय ग्रामीण आत्मनिर्भरता हेतु कृषिविविधीकरण एवं कृषि साख संस्थाओं की उपयोगिता

(सुलतानपुर जनपद का एक अनुभवगम्य अध्ययन)

डॉ0 अवधेष कुमार दूबे *

डॉ0 दिनेष चन्द्र द्विवेदी **

कृषि क्षेत्र में कृषिगत क्रियाओं एवं कृषि विविधीकरण की क्रियाओं में ऋण आवंटन की एक सुदृढ़ प्रणाली ग्रामीण विकास की एक केन्द्रीय घूरी है। भारतीय कृषि लम्बे समय से महाजनों के शोषण का शिकार रही है। इस दिशा में सरकार ने अनेक संस्थागत वित्तीय स्रोतों को दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक स्थापित किया है और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समन्वित विकास में कृषि क्रियाओं को वित्तीय पोषण देने के लिए संस्थागत वित्तीय स्रोतों की भूमिका को वर्तमान समय में एक निर्णायक बिन्दु के रूप में स्वीकार किया है। ग्रामीण अंचलों में संस्थागत वित्तीय स्रोतों – व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक एंव क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विकसित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य रहा है कि ग्रामीण किसानों को कृषि ऋण के परम्परागत शोषण से मुक्ति दिलायी जाय और उन्हें समय पर पर्याप्त कृषि राशि उपलब्ध करायी जाए। उचित समय पर कृषि साख उपलब्ध न होने से समूची कृषि क्रियायें सम्पूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक विषम चक्र उत्पन्न कर देती है। इन्हीं समस्याओं के निदान के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की भूमिकाओं को अधिक सक्रिय बनाने के प्रयास किये गये। इन संस्थागत वित्तीय स्रोतों ने कृषि विकास की रणनीति के अनुरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि के साथ–साथ अन्य क्षेत्रों में भी ऋण आवंटित एवं वितरित किये हैं। ग्रामीण अंचलों में बैंकों के बढ़ते दायित्वों का उचित निर्वाह करने के लिए कृषि साख का उचित प्रबन्धन आवश्यक है। बैंकों की लाभप्रदता का उद्देश्य कृषि साख प्रवाह एवं प्रबन्ध का केन्द्र बिन्दु है जिसके दो महत्वपूर्ण पहलू – 'साख आवंटन' एवं 'ऋणों की वापसी' है। इन पहलुओं का अध्ययन निम्नांकित निष्कर्ष प्रस्तुत करता है –

1. संसाधन एकत्रीकरण हेतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत जमाओं का संग्रहण है। सभी प्रकार के बैंक अपने संसाधन एकत्रीकरण के लिए अनेक प्रकार की जमाओं के माध्यम से धन एकत्रित करने में सफल रहे है। जमाओं के सम्बन्ध में निम्नांकित निष्कर्ष सामने आते हैं–

क) यद्यपि व्यापारिक बैंकों की कुल जमाएँ मात्रात्मक रूप से बढ़ी हैं किन्तु जिले के सभी प्रकार के बैंकों की कुल जमाओं में व्यापारिक बैंकों की हिस्सेदारी आंशिक रूप से घटी हैं।

ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में जमा राशि उत्तरोत्तर बढ़ी है और इस बैंक का जिले में सभी श्रेणी के बैंकों की कुल जमाओं में प्रतिशत हिस्सेदारी में सुधार हुआ है अर्थात् क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रति जमाओं की दृष्टि से ग्राहकों का आकर्षण बढ़ा है।

* Assistant Professor, Dept. of Economics, K.N.I.V.S.,Sultanpur
** Assistant Professor, Dept. of Economics, Ganpat Sahay P.G. College, Sultanpur

Airo International Research Journal
Volume XX, ISSUE: 1
ISSN: 2320-3714
October 2020
Multidisciplinary
Peer Reviewed Indexed Journal
Impact Factor 5.68

ग) जिला सहकारी बैंक कुल जमाओं की दृष्टि से जनपद में तीसरे स्थान पर आता है। इस बैंक की कुल जमाओं की जनपद के सभी श्रेणी के बैंकों की कुल जमाओं में प्रतिषत हिस्सेदारी घटी है।

घ) ग्यारवहीं एवं बारहवीं योजना अवधि के दौरान कुल जमा वृद्धि की दृष्टि से जनपद में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है और यह बैंक दूरस्थ संग्रहित करने में सफल रहा है।

च) चालू खातों की जमाओं की दृष्टि से व्यापारिक बैंक का स्थान अन्य श्रेणी के बैंकों की तुलना में सर्वोपरि है, और यह बैंक अपनी कुल जमाओं का एक चौथाई से अधिक भाग इन जमाओं से संग्रहित करते है।

छ) कुल जमाओं में बचत जमाओं की दृष्टि से भी व्यापारिक बैंको का स्थान सर्वोपरि है जबकि सावधि जमाओं की दृष्टि से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अन्य बैकों की तुलना में प्रथम स्थान पर है।

ज) तीनों ही वर्गो के बैकों की कुल जमाओं में जहॉ चालू जमाओं, बचत जमाओं में औसतन वृद्धि हो रही है वही सभी बैंक अपनी कुल जमाओं में सावधि जमाओं की हिस्सेदारी (औसतन प्रतिशत रूप में) में कमी दर्शा रहें है। सर्वेक्षण के दौरान इस विशिष्ट तथ्य का कारण यह सामने आया कि ''सावधि जमाओं पर सभी बैंकों के द्वारा की जाने वाली ब्याज दर की कटौती के कारण ग्राहकों में सावधि जमाओं के प्रति आकर्षण कुछ कम हुआ है।''

2. बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में ऋण आवंटन का अनुभवगम्य अध्ययन के दौरान यह परिदृष्य सामने आया कि –

कृषि क्षेत्र कृषिविविधीकरण की क्रियाओं में कुल आवंटित ऋण की दृष्टि से व्यापारिक बैंकों का योगदान नवीं योजना के अन्त में अधिक तेजी से बढ़ा है। इसका मुख्य कारण यह पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्र के व्यापारिक बैंकों ने बड़ी मात्रा में कृषि बड़े यन्त्रों के खरीदने के लिए बड़े ऋण प्रदान किये हैं। ग्यारहवीं एवं बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी वर्गो के बैंको – व्यापारिका बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक में कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत फसली ऋण आवंटन अपने लक्ष्य के सन्दर्भ में कोई नियमित प्रवृत्ति नहीं दर्शाता बल्कि यह अनुपात (वास्तविक आवंटन एवं लक्ष्य) अनेक उतार–चढावों से परिपूर्ण है। सर्वेक्षण से प्राप्त आकड़ों से स्पष्ट है कि जनपद में व्यापारिक बैंकों ने दसवीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य से अधिक कृषि ऋण आवंटित किया वहीं ग्यारहवीं योजना में वे अपना लक्ष्य पाने में असफल रहे। इसी क्रम में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं सहकारी बैंकों ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भिक वर्ष के लक्ष्य से अधिक एवं बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्षो में लक्ष्य से कम ऋण आवंटित किया वहीं ग्यारहवीं योजना में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंक दोनों ही लक्ष्य तक पहुॅचने में असफल रहे।

कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत फसली एवं गैर–फसली ऋण के संदर्भ में भी ऋण आवंटन एवं लक्ष्य अनुपात में कोई नियमित प्रवृत्ति देखने को नहीं मिलती। व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय

Airo International Research Journal
Volume XX, ISSUE: 1
ISSN: 2320-3714
October 2020

Multidisciplinary
Peer Reviewed Indexed Journal
Impact Factor 5.68

ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैंक सभी के लिए ऋण आवंटन ग्यारहवीं एवं बारहवीं योजना अवधि में कमी लक्ष्य से अधिक और कमी लक्ष्य से कम देखने को मिलता है।

इस तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि कृषि क्षेत्र एवं कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत कृषिविधीकरण की क्रियाओं में ऋण आवंटन में लक्ष्य को सदैव प्राप्त नहीं किया जा सका है।

3. समूचे देशों में सभी प्रकार के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को कुल प्रदत्त ऋणों में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी दी गई है। किन्तु दसवीं एवं ग्यारहवीं योजना की अध्ययन अवधि में यह पाया गया कि व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंक सभी में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ऋण प्रतिशत उत्तरोत्तर वर्षो में घटा है और सबसे अधिक गिरावट व्यापारिक बैंक में दर्ज की गई।

4. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में कमजोर वर्ग का स्थान सर्वोपरि है। राष्ट्रीय नियोजन नीति के अनुसार कमजोर वर्ग को बैंकों द्वारा ऋण आवंटन विशेष कर कृषि विविधीकरण क्रियाओं में ऋण आवंटन में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न वर्गो के बैंकों द्वारा इस दिशाओं में जो ऋण दिया गया है उसका परिदृश्य समरूप न रहकर उतार–चढ़ाव से परिपूर्ण है। व्यापारिक बैंकों ने उतरोत्तर वर्षो में आंशिक रूप से बढ़ते क्रम में अपने कुल ऋणों का आंशिक बढ़ता प्रतिशत कमजोर वर्ग को आवंटित किया है। जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंकों द्वारा अपने कुल प्रदत्त ऋणों में कमजोर वर्ग को दिये ऋण प्रतिशत में सुधार प्रदर्षित किया है।

5. अतिनिर्धन वर्ग को डी0आर0आई0 ऋण मुख्यतः व्यापारिक बैंकों द्वारा ही दिया गया है जिसमें सर्वाधिक योगदान दसवीं पंचवर्षीय योजना में पंजाब नेशनल बैंक एवं नवीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय स्टेट बैंक का रहा है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाओं द्वारा प्राथमिक क्षेत्र के लिए प्रदत्त ऋण में डी0आर0आई0 ऋण का प्रतिशत नगण्य पाया गया जिसका मुख्य कारण यह पाय गया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की मुख्य शाखा को ही डी0आर0आई0 ऋण देने का अधिकार प्राप्त है और ग्रामीण अंचलों की शाखाओं को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है। सहकारी बैंक को तो डी0आर0आई0 ऋण आवंटित करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है।

6. कृषि विविधीकरण क्रियाओं में प्रत्यक्ष ऋण के सम्बन्ध में बैंकवार स्थिति बेहतर देखने को मिलती है। व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंक तीनों ही प्रत्यक्ष ऋण के सम्बन्ध में धनात्मक प्रगति दर्शाते है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रत्यक्ष ऋण के आवंटन की दौड़ में सबसे अधिक प्रतिशत हिस्सेदारी दर्ज करने वाला बैंक है। इस प्रकार समय रूप में जनपद का परिदृश्य यह है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में कुल आवंटित ऋण का उत्तरोत्तर बढ़ता प्रतिशत भाग कृषि विविधीकरण के क्षेत्र में प्रत्यक्ष ऋण के रूप में आवंटित किया गया है।

7. कृषि विविधीकरण क्रियाओं में ऋण किसानों को कृषि आगत उपलब्ध कराने हेतु आवंटित किये जाते है जैसे रासायनिक उर्वरक, बीज का स्टाक आदि के लिए दिया जाने वाले ऋण अप्रत्यक्ष कृषि ऋण की श्रेणी में आता है। व्यापारिक बैंकों ने अप्रत्यक्ष

Airo International Research Journal
Volume XX, ISSUE: 1
ISSN: 2320-3714
October 2020

Multidisciplinary
Peer Reviewed Indexed Journal
Impact Factor 5.68

कृषि ऋण के रूप में सन्तोषजनक प्रगति दर्ज की है जिसमें सराहनीय योगदान बैंक ऑफ बड़ौदा, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया एवं पंजाब नेशनल बैंक का रहा है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हेतु ऋण में अप्रत्यक्ष ऋण का हिस्सा लगभग नगण्य ही बना हुआ है जबकि सहकारी बैंकों ने अप्रत्यक्ष कृषि ऋण के रूप में कोई ऋण आंवटित नहीं किया है।

8. ऋण जमा–अनुपात, जो साख, आवंटन के सम्बन्ध में बैंक के कार्य निष्पादन का एक सूचक है, दृष्टि से व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंकों में व्यापारिक बैंक सबसे पीछे है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैकों का ऋण–जमा अनुपात जनपदीय औसत ऋण–जमा अनुपात से अधिक दर्ज किया गया जो इन बैंकों का अधिक ऋण देने की प्रवृति का परिचायक है।

जिला सहकारी बैंक ऋण–जमा अनुपात की दौड़ में अन्य श्रेणी के बैंकों की तुलना में आगे है और इन बैंकों ने सभी वर्षो के दौरान ऊँचा ऋण–जमा अनुपात प्रदर्शित किया है।

9. किसान क्रेडिट कार्ड की योजना किसानों के लिए एक प्रकाश पुंज के रूप में वित्तीय सहायता देने की एक योजना है। यह कार्ड एक प्रकार की ऋण सुविधा है जिससे किसान तत्काल नगदी प्राप्त कर सकता है या कृषि आगत उधार खरीद सकता है। वित्तीय सहायता के रूप में इस योजना के अन्तर्गत सर्वाधिक ऋण आवंटन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा किया गया जबकि भौतिक प्रगति में जिला सहकारी बैंक अग्रणी रहा। दूसरे शब्दों में ''भौतिक प्रगति में जहॉ जिला सहकारी बैंक किसान क्रेडिट कार्ड योजना में सर्वाधिक ऋण आवंटित करके अग्रणी रहा वहीं सर्वाधिक वित्तीय सहायता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा दी गई।''

10. संस्थागत कृषि साख के अनवरत प्रवाह एवं बैंकों की लाभप्रदत्ता को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण घटक अतिदेय एवं उसका दबाव है। संस्थागत वित्तीय स्रोतों ने विभिन्न सरकारी ग्राम विकास की योजनाओं के अधीन कृषि क्षेत्र के साथ–साथ अन्य क्षेत्रों को ग्रामीण साख उपलब्ध कराई है किन्तु बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण की समय से एवं पूरी मात्रा में वसूली न होने के कारण बैंकों का साख प्रवाह प्रतिकूल रूप में प्रभावित हुआ है। संस्थागत साख स्रोातें के अतिदेय (Overdues) के पहलू पर निम्नांकित निष्कर्ष सामने आते हैं –

क) कृषि एवं फसली ऋण की वसूली की दृष्टि से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अन्य बैंकों की तुलना में अधिक सफल रहे और जिला सहकारी बैंक में वसूली की स्थिति सबसे अधिक दयनीय रही। इस परिकल्पना का अनुभवगम्य मुल्यांकन स्पष्ट करता है कि छोटे आकार के ऋणों की वसूली का परिदृश्य उत्तरोत्तर वर्षो में सन्तोषजनक हुआ है और छोटे आकार के ऋणों के सन्दर्भ में सभी वर्गो के बैंकों के लिए अतिदेय की समस्या का दबाव उत्तरोत्तर वर्षो में तुलनात्मक रूप से घटा है।

Airo International Research Journal
Volume XX, ISSUE: 1
ISSN: 2320-3714
October 2020

Multidisciplinary
Peer Reviewed Indexed Journal
Impact Factor 5.68

प्राथमिक सूचनाएँ यह भी स्पष्ट करती है कि जिला सहकारी बैंक में यद्यपि छोटे आकार के ऋणों में अतिदेय की दृष्टि से सबसे अधिक विषम परिस्थिति है और इस बैंक के ऋण में अतिदेय का दबाव उतरोत्तर वर्षो में लगभग एक जौ बना हुआ है।

मध्यम आकार के ऋणों की वसूली का परिदृष्य भी सभी वर्गो के बैंकों के लिए उत्तरोत्तर वर्षो में सन्तोषजनक होता गया है। प्राथमिक सूचनाये स्पष्ट करती है कि ''सभी वर्गो के बैंकों द्वारा जहॉ अपने कुल प्रदत्त ऋणों में मध्यम आकार के ऋणों की भागीदारी में वृद्धि की गई है वहीं सभी बैंाकें द्वारा ऋण वसूली के स्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि की प्रवृत्ति देखने को मिल रही है जो एक धनात्मक पहलू है।''

बड़े आकार के ऋणों की वसूली का परिदृश्य मिली–जुली प्रवृत्ति दर्शाता है। जनपद में बड़े आकार के ऋणों का दबाव यद्यपि उत्तरोत्तर वर्षो में औसतन कम हुआ है लेकिन यह सुधार केवल व्यापारिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में ही देखने को मिला है और सहकारी बैंकों के संदर्भ में बड़े ऋण आज भी अतिदेय दबाव के विषय चक में फसे है।

ग) सर्वेक्षण से प्राप्त सुचनाओं के आधार पर एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आता है कि छोटे आकार के ऋणों में अतिदेय प्रतिशत सभी वर्षो के दौरान औसतन मध्यम एवं बड़े आकार के ऋणों की तुलना में अधिकतम रहा है। अतिदेय दबाव की दृष्टि से मध्यम आकार के ऋण दूसरे स्थान पर रहे हैं जबकि छोटे आकार के ऋणों में अतिदेय दबाव सर्वाधिक दर्ज किया गया ।

घ) ऋणों के आकार एवं अतिदेय के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण निष्कर्षात्मक पहलू यह सामने आता है कि ''वसूली एवं अतिदेयों की दृष्टि से मध्यम एवं बड़े आकार के ऋण व्यावहारिक दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक सफल एवं ग्रामीण साख प्रबन्ध के अनुकूल है।'' छोटे आकार के ऋण मुख्यतः फसली ऋण होने के कारण अधिक अतिदेय दबाव दर्षाते हैं।

च) प्राथमिक सूचनाएँ यह भी निष्कर्ष देती है कि ''माध्यमवर्गीय परिवार अपने ऋणों की अदायगी के लिए अन्य की तुलना में अधिक सजग है और बैंकों को कृषि साखा आवंटन एवं प्रबन्धन में अनुकूल योगदान देते है।''

छ) अतिदेय का बढ़ता आकार एव उनकी बढ़ती आयु कृषि साख वितरण प्रवाह पर एक प्रष्न चिन्ह लगाते है। अतिदेयों की आयु के सन्दर्भ में सर्वेक्षण से यह निष्कर्ष सामने आता है कि छोटे आकार के कृषि ऋणों का साख प्रबन्ध बैंकों की लाभप्रदत्ता की दृष्टि से अधिक अनुकूल है और बड़े आकार के ऋणों का अतिदेय दबाव अतिदेयों की आयु संरचना के आधार पर उतरोत्तर अधिक प्रतिकूल होता जा रहा है।

11. चयनित प्रतिदर्श से प्राप्त प्राथमिक सूचनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि जोतवार, मध्यम जोत वाले किसान अतिदेय की दृष्टि से सबसे बेहतर स्थिति में पाये गये जबकि सबसे बड़े बकायेदारों में बड़ी जोत वाले किसानों पर अतिदेय सबसे अधिक और उसके बाद लधु जोत वाले किसानों पर उससे कम ऋण अतिदेय पाया गया अर्थात् ''मध्यम जोत वाले किसानों पर अतिदेय अन्य जोत वाले किसानों की तुलना में न्यूनतम है।'' यह भी निष्कर्ष सामने आता है कि बड़े जोत वाले बकायेदार

Airo International Research Journal
Volume XX, ISSUE: 1
ISSN: 2320-3714
October 2020
Multidisciplinary
Peer Reviewed Indexed Journal
Impact Factor 5.68

किसान जनपद के तहसील अथवा किसी ब्लाक विषेष तक ही सीमित नहीं है बल्कि इनकी संख्या सभी ब्लाकों में अन्य की तुलना में अधिक है।

12. जेतवार प्रतिदर्ष बकायेदारों की जाति संरचना स्पष्ट करती है कि सामान्य जाति के लोग बैंक ऋण की अदायगी में सबसे पीछे है अर्थात् अतिदेय का दबाव सबसे अधिक सामान्य जाति (Forward Class) द्वारा ही उत्पन्न किया जा रहा है और पिछड़ी जातिया बैंकों के ऋण प्रवाह में अतिदेय का न्यूनतम दबाव उत्पन्न कर रही है।

13. अतदेयों के दबाव को शिक्षा के स्तर के सन्दर्भ में भी मूल्यांकित किया गया किन्तु इस सन्दर्भ में कोई नियमित प्रवृत्ति देखने को नही मिली। सभी शैक्षिक स्तरों के लोगों में अतिदेय की समस्या विद्यमान पायी गयी और यह निष्कर्ष सामने आया कि शिक्षा और अतिदेय के बीच कोई नियमित तालमेल नही है किन्तु प्राथमिक सर्वेक्षण यह सूचना अवश्य देता है कि मध्यस्तरीय शिक्षा प्राप्त बकायेदार ग्रामीण साख प्रबन्ध में अतिदेयों का अधिक प्रतिकूल दबाव बना रहे हैं।

14. प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान अतिदेय समस्या के विविध कारणों को भी संज्ञान में लिया गया था। बकायेदारों के दौरान दी गई सूचनाएँ निम्नवत् है –

क) फसल रोग, भूमि की दीमक, नील गाय आतंक आदि के द्वारा फसल नष्ट होना।

ख) सूखा पाला एवं बाढ़ आदि प्राकृतिक विपदाओं के कारण फसल नष्ट होगा।

ग) सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के कारण ऋण अदायगी की राशि खर्च हो जाना।

घ) फसल का उचित मूल्य न मिलना।

प्रतिदर्श बकायेदार जहॉ स्वयं को अनैच्छिक बकायेदार (Unwilful Defalter) की श्रेणी में प्रतिस्थापित करते हुए पाये गयें वहीं बैंक अधिकारियों की दृष्टि में वस्तुतः श्रेणी में प्रतिस्थापित करते हुए पाये गयें वहीं बैंक अधिकारियों की दृष्टि में वस्तुतः ऐच्छिक बकायेदार (Wilfull Defalter) है जो जानबूझकर ऋणों की अदायगी करने से बचते रहते है और उनके घर पर गये बैंक कर्मचारियों से भी नहीं मिलती।

एक महत्वपूर्ण तथ्य भी प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान सामने आया कि बकायेदार राजनैतिक लाभ की प्रत्याशा में ऋण की अदायगी नहीं करते और उन्हें आशा होती है कि पहले की तरह सरकार द्वारा आगे भी छोटे ऋण माफ कर दिये जायेगें।

15. अतिदेयों के बढ़ते दबाव के सम्बन्ध में अतिदेय समस्या का निदान एक आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में जनपद स्तर पर बैंकों द्वारा निम्नांकित रणनीति अपनाई जा रही हैं –

क) बैंक वर्ष में दो बार सम्बन्धित ऋणी व्यक्ति को ऋण की प्रकृति एवं अवधि के आधार पर नोटिस तैयार करके भेजता है। तीन किस्तों का भुगतान न होने के बाद 15 दिन से एक माह की अवधि के अन्तर तीन नोटिस ऋणी व्यक्ति एवं गारण्टी देने वाले व्यक्ति को भेजी जाती है और तीसरे नोटिस के 21 दिनों के भीतर भी यदि बकाया किस्तों का नियमित भुगतान नही होता तो ऋण की गैर–अदायगी की सूचना जिला अधिकारी को प्रेषित कर दी जाती है।

Airo International Research Journal
Volume XX, ISSUE: 1
ISSN: 2320-3714
October 2020
Multidisciplinary
Peer Reviewed Indexed Journal
Impact Factor 5.68

ख) जिला अधिकारी को बैंक द्वारा सम्पूर्ण पत्रावली एवं वसूली प्रमाणपत्र तीन प्रतियों में प्रेषित किया जाता है। अमीन बैंकों के अतिदेयों को वसूलने की प्रक्रिया आरम्भ करता है।

ग) यदि अमीन द्वारा किसी कारण अतिदेयों की वसूली नहीं हो पाती और बैंक तथा ऋणी के बीच विवाद अतिदेय का कारण होता है, तब अदालत के माध्यम से वसूली प्रक्रिया आरम्भ की जाती है जिससे ऋणी को ऋण देते समय चिन्हित करने वाले बैंक अधिकारी की गवाह के रूप में अदालत में प्रस्तुत किया जाता है।

घ) अदालती कार्यवाही चलती रहने की दशा में अतिदेयों को 'संदेहास्पद ऋण' की श्रेणी में माना जाता है और अदालत द्वारा ऋणी के पक्ष में फैसला हो जाने पर अतिदेयों को खराब ऋण (Bad debts) की श्रेणी में डालकर बैंक द्वारा अतिदेय की फाइल बन्द कर दी जाती है। इस दशा में अपने अतिदेय को डूबा हुआ मान लिया जाता है।

कृषि साख की तरलता का एक उचित मानदण्ड अतिदेयों की आयु संरचना है। अतिदेयों का बढ़ता आकार एवं उनकी बढ़ती आयु कृषि साख प्रवाह पर एक प्रष्न चिन्ह लगाती है। एक वर्ष से कम आयु वाले अतिदेय जहॉ कृषि साख प्रवाह में न्यूनतम प्रतिकूलता दर्शाते हैं वहीं एक वर्ष से अधिक एवं तीन वर्ष से कम आयु वाले अतिदेय साख प्रबन्ध की दृष्टि से अनुचित है और उनकी समय से वसूली प्रक्रिया को तेज किया जाना आवष्यक है। तीन वर्ष से अधिक आयु वाले अतिदेय कृषि साख तरलता एवं बैंक प्रबन्ध के लिए प्रतिकूल है। आवश्यकता इस बात की है कि सकारात्मक कृषि साख प्रबन्ध के लिए एक वर्ष से तीन वर्ष की आयु वाले अतिदेयों को तीन वर्ष की अवधि के अन्तर्गत ही वसूलने की प्रक्रिया तेज की जानी चाहिए ताकि इन अतिदेयों को तीन वर्ष से अधिक अतिदेय आयु वाले वर्ग में जाने से रोका जा सके।

कृषि विविधीकरण वित्त आवंटन : कुछ महत्वपूर्ण सुझाव

1. जनपद में कृषि वित्त के तीन संस्थागत स्रोत है – व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंक ग्रामीण वित्त आवंटन ग्रामीण विकास रणनीति की परिधि के अन्तर्गत तीनों ही वर्गो के बैंकों का प्राथमिक उद्देश्य है तीनों वर्गो के बैंकों को एक नेतृत्व के नीचे बैठकर अपने–अपने बैंकों की दूसरे बैंकों के साथ पूरक कृषि ऋण नीतियां बनानी चाहिए कृषि ऋण आवंटन में तीनों वर्गो के बैंकों के बीच उत्पन्न हो रही प्रतिस्पर्धा का निदान ढूंढा जा सके।
2. ग्रामीण अंचलों के दूरस्थ क्षेत्रों तक संस्थागत वित्तीय स्रोातों के प्रसार ने ग्रामीण जनता को लाभ पहुॅचाया है। संस्थागत वित्तीय स्रोतों के इस प्रसार ने ग्रामीण जनता को कृषि साख प्रयोग के लिए शिक्षित किया है। यदि संस्थागत कृषि ऋण स्रोतों का ग्रामीण अंचलों में विस्तार नहीं किया गया होता तो आज भी भारतीय किसान महाजन के चगुँल में फॅसे रहते और उनकी सीमित आर्थिक क्रियाएँ ग्रामीण विकास में सहयोगी नहीं हो पाती। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत कृषि वित्त की सुविधाओं से वंचित है। अतः संस्थागत वित्तीय स्रोत विषेषकर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंकों की शाखाओं/समितियों का और अधिक विस्तार किया जाना आवश्यक है ताकि ग्रामीण क्षेत्र का शत प्रतिशत भाग ग्रामीण संस्थागत कृषि साख की परिधि में लाया जा सके।

Airo International Research Journal
Volume XX, ISSUE: 1
ISSN: 2320-3714
October 2020

Multidisciplinary
Peer Reviewed Indexed Journal
Impact Factor 5.68

3. व्यापारिक बैंकों का विस्तार यद्यपि राष्ट्रीयकरण के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है किन्तु व्यापारिक बैंकों ने अभी तक दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाओं का विस्तार नहीं किया है और इन बैंकों की शाखाएं ब्लाक स्तर तक केन्द्रित होकर रह गयी है। कृषि ऋण प्रवाह को दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक गतिशील बनाने के लिए व्यापारिक बैंकों की शाखाओं का ग्राम स्तर तक विस्तार किया जाना आवश्यक है। व्यापारिक बैंकों के वित्तीय स्रोत अन्य वर्गो के बैंकों के वित्तीय स्रोत की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होते है। अतः ग्राम स्तर तक व्यापारिक बैंकों की शाखाओं का विस्तार किसानों की अल्पकालीन, मध्यमकालीन, दीर्धकालीन ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में अधिक सहायक हो सकेगा।

4. सहकारी बैंक, कृषि ऋण प्रबन्धन की दृष्टि से अन्य वर्गो के बैंकों से पिछड़े हुए है। जिसका मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों में 'सहकारिता की भावना' की अनुपस्थिति है। आवष्यकता इस बात की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता की भावना का प्रेरित किया जाय, सहकारी समितियों के गठन को बढ़ावा दिया जाय और इन समितियों में अधिक से अधिक कृषकों को लाभान्वित करने के प्रयास किये जाय ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं के विस्तार के साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन संस्थाओं के पूंजीगत साधन पर्याप्त रूप से विस्तृत हो सके ताकि इस संस्थाओं की ऋण देने की क्षमता में वृद्धि हो सके, इन समितियों को भ्रष्टाचार एवं ग्रामीण स्तर पर पनपते जातिवाद एवं भाई–भतीजावाद से मुक्त करने के भी प्रयास ईमानदारी से यि जाने चाहिए। ग्रामीण स्तर पर सहकारी समितियों को कृषि वित्त आवंटन के साथ–साथ कृषि विपणन का कार्य भी करना चाहिए ताकि विपणन से प्राप्त आय और ऋण वापसी के बीच उचित तालमेल बैठाया जा सके इस दिशा में की गयी ईमानदार कार्यवाही निश्चित रूप से कृषि वित्त के प्रवाह को बढ़ाने और अदिय के दबाव को कम करने में सहायक होगी।

5. ग्रामीण अंचलों के आर्थिक, सामाजिक परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण बिन्दु कृषि क्षेत्र में व्याप्त छुपी बेरोजगारी (Disguishes Unemployment) है। इस समस्या के निदान के लिए कृषि से जुड़ी अन्य क्रियाओं को विकसित किया जाना आवश्यक है। सरकार ने विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में अनेक उद्यमिता विकास की योजनाएँ इसी उद्देश्य से आरम्भ की है। बैंकों को ऋण देते समय ऋणी व्यक्ति की आर्थिक क्रिया एवं उसके लिए आवष्यक तकनीकी ज्ञान एवं मानसिकता (Technical Know-How and Apptitute) की उपस्थिति का मूल्यांकन अवश्य करना चाहिए ताकि बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण एक नियमित आय सृजित कर सके। इस कार्य के लिए बैंकों में तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएँ ली जानी चाहिए।

6. संस्थागत वित्तीय संस्थाओं को अपने पूर्व ऋणी व्यक्ति (जिस पर अभी अतिदेय विद्यमान है) को ही नई साख सुविधाएँ उपलब्ध नहीं कराई जानी चाहिए। बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य सुयोग्य व्यक्तियों को (जिन्होंने पहले कभी कोई ऋण नहीं लिया है।)

प्राथमिकता के आधार पर ऋण आवंटित किया जाना चाहिए बशर्ते ऐसे व्यक्तियों द्वारा किसी अन्य वित्तीय स्रोत से कोई ऋण न लिया गया हो।

7. संस्थागत वित्तीय स्रोतों को कृषिगत ऋण देते समय कृषि विज्ञान केन्द्र जैसी कृषिगत शोध वाली संस्थाओं की सहायता इस उद्देश्य से लेनी चाहिए कि कृषि विशेषज्ञों द्वारा यह पता लगाया जा सके कि फसल आदि के लिए लिया जा रहा ऋण कितना उत्पादकीय होगा। इस मूल्यांकन की अनुपस्थिति में यदि बैंकों द्वारा केवल किसान के आवेदन पर ही ऋण आवंटित कर दिया जाता है तब यह ऋण वापसी के लिए पर्याप्त आय उत्पन्न कर पायेगा अथवा नहीं, यह एक संदेहास्पद स्थिति है। यही दृष्टिकोण कृषि क्षेत्र से जुड़ी अन्य आर्थिक क्रियाओं के लिए भी अपनाया जाना चाहिए।

8. संस्थागत वित्तीय स्रोतों को अपनी ग्रामीण जमा संसाधनों को और अधिक बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। इसके लिए बैंकों द्वारा समय–समय पर ग्रामीण क्षेत्रों में साख कैम्प एवं जमा कैम्प आयोजित करने चाहिए ताकि दूरस्थ क्षेत्रों की अशिक्षित जनता भी बैंक साख एवं जमाओं की परिधि में जुड़ सके। हाल के वर्षो में यद्यपि बैंकों ने किसान क्रेडिट कार्ड वितरण के लिए कैम्प आयोजित करने की शुरूआत की है किन्तु ऐसे कैम्प शहरी एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में ही आयेाजित हो रहे है। ऐसे कैम्पों को दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे प्रचार–प्रसार द्वारा आयोजित किया जाना चाहिए ताकि सीमान्त कृषक एवं कृषक श्रमिक जैसे कम शिक्षित अथवा अशिक्षित लोग भी इस योजना की जानकारी प्राप्त करके इस सुविधा का लाभ उठा सकें।

9. बैंकों के पास कृषि विकास एवं ग्रामीण विकास को पोषित करने वाली अनेक योजनाएँ है जिसका उचित प्रसार एवं प्रचार किया जाना आवश्यक है। बैंकों को विकास खण्ड अधिकारियों के साथ दूरस्थ क्षेत्रों में अपनी नई विकास ऋण योजनाओं को जनप्रिय बनाने के लिए प्रदर्शनी एवं मेलों का आयोजन करना चाहिए ताकि आम व्यक्ति भी बैंकों की नवीन विकासोन्मुख ऋण योजनाओं से अवगत हो सके और उसके अनुसार अपनी मानसिकता विकसित करके अपने आय एवं रोजगार में वृद्धि के प्रयास कर सके।

10. संस्थागत वित्तीय स्रोतों को अपने ऋण आवंटन की प्रक्रिया में अनावश्यक स्थानीय नेताओं का हस्तक्षेप वहन करना पड़ता है। बैंक अधिकारी प्रायः स्थानीय व्यक्ति नही होते अतः वे स्थानीय संरक्षण के अभाव में स्थानीय नेताओं के हस्तक्षेपों की अवहेलना नही कर पाते और उन्हें अपनी प्राथमिकताओं से हटकर ऋण आवंटित करना पड़ता है। ऐसी दशा में बैंक अधिकारियों को आवश्यक प्रशासनिक सहयोग देकर स्थानीय नेताओं के अनावश्यक हस्तक्षेप को रोका जा सकता है।

11. बैंकिंग स्तर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपनाये जाने वाला भ्रष्ट व्यवहार भी ग्रामीण उत्थान की दृष्टि से अवरोधक घटक है। सरकार द्वारा अनेक योजनाओं में बैंकों के माध्यम से लाभार्थियों को अनुदान (Subsidy) दिया जाता है जिसकों आवंटित करने में बैंक अधिकारी कर्मचारी प्रायः लाभार्थी से अनुदान में हिस्सेदारी मॉगते है जो

Airo International Research Journal
Volume XX, ISSUE: 1
ISSN: 2320-3714
October 2020

Multidisciplinary
Peer Reviewed Indexed Journal
Impact Factor 5.68

निःसंदेह एक अनुचित व्यवहार है। बैंकों के उच्च अधिकारियों द्वारा इस अनुचित व्यवहार पर रोक लगाई जानी आवश्यक है। प्रषासनिक अधिकारियों को भी इस सम्बन्ध में लाभार्थियों की समस्या का समाधान करने में सहयोग किया जाना आवष्यक है।

12. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की ग्रामीण शाखाओं को विभेदीकृत ब्याज दर योजना (D.R.I. Scheme) के अन्तर्गत ऋण आवंटन का अधिकार दिया जाना चाहिए। अभी तक यह अधिकार केवल व्यापारिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शहरी शाखाओं को ही दिया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की दूरस्थ शाखाओं को यह अधिकार देकर ग्रामीण अंचलों के ''अति निर्धन'' कृषक वर्ग को लाभ पहुॅचाने में सहायता मिलेगी।

13. बैंकों में उत्तरोत्तर बढ़ता अतिदेय (Over dues) निष्चित रूप से बैंकों की लाभ प्रदता एवं उनके निरन्तर कृषि ऋण प्रवाह कके लिए एक प्रतिकूल घटक है। बैंकों द्वारा अतिदेयों के आकार को कम करने के लिए अपने फील्ड स्टाफ द्वारा निरन्तर बकायेदारों के सम्पर्क में बने रहना आवश्यक है। जिसके लिए निम्नांकित बिन्दुओं पर व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए –

क) फील्ड निरीक्षकों को प्रतिमाह किन–किन बकायेदारो से सम्पर्क करना है उसकी सूची उन्हें बैंक द्वारा महीने के आरम्भ में उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

ख) फील्ड निरीक्षकों को बैंकों द्वारा ''टूर डायरी'' (Tour Diary) अनिवार्य रूप से वितरित की जानी चाहि जिसमें प्रतिदिन की रिपोर्ट फील्ड निरीक्षकों द्वारा भरना आवश्यक हो और बैक मैनेजर द्वारा प्रति सप्ताह शनिवार के दिन (जबकि बैंकिंग व्यवसाय अवधि केवल दो घटें होती है) इन टूर डायरियों का सघन अवलोकन करके आवष्यक कार्यवाही की जानी चाहिए।

ग) फील्ड निरीक्षकों द्वारा बकायेदारों से व्यक्तिगत सम्पर्क किया जाना आवष्यक है। प्रायः बकायेदार फील्ड निरीक्षकों से नहीं मिले ''और घर पर नहीं है'' कहकर बार–बार बैंक फील्ड निरीक्षक को वापस करते रहते है। ऐसी स्थिति में प्रषासन द्वारा ग्राम प्रधानों को यह निर्देशित किया जाना आवष्यक है कि वे बैंक फील्ड निरीक्षकों को उनके इस कार्य में ग्रामीण स्तर पर सहयोग दें, और बकायेदार को ऋण वापसी हेतु प्रेरित करने के लिए प्रयास करें।

घ) समय–समय पर प्रबन्धकों द्वारा भी ऐसे ग्राम पंचायतों के माध्यम से अपने बकायेदारों से व्यक्तिगत सम्पर्क किया जाना चाहिए। पंचायत के सहयोग से बैंक अधिकारी अपनी ऋण वापसी में अधिक सफल हो सकते है और बैंकों पर पड़ने बाले अतिदेयों के दबाव को कम कर सकते हैं।

च) ऐच्छिक बकायेदार पर ऋण वापसी के लिए प्रशासनिक कार्यवाही त्वरित होनी चाहिए। प्रषासन को बैंक द्वारा भेजी गयी आर0सी0 (वसूली प्रमाण–पत्र) पर त्वरित कार्यवाही करनी चाहिए।

Airo International Research Journal
Volume XX, ISSUE: 1
ISSN: 2320-3714
October 2020

Multidisciplinary
Peer Reviewed Indexed Journal
Impact Factor 5.68

ऋणों को लेकर बैंक एवं ऋणों के बीच जो विवाद न्यायालय तक पहुॅचते है उनका निस्तारण भी शीध्रता से किया जाना आवष्यक है और इसके लिए ''लोक अदालत'' को और अधिक व्यावहारिक एवं कार्यषील बनाया जाना आवष्यक है।

छ) अतिदेय की समस्या का समाधान ढूॅढने के लिए यह भी आवष्यक है कि बैंक किसी भी संस्थागत वित्तीय संस्था द्वारा किसी ऋणी को ऐच्छिक बकायेदार घोषित कर दिये जाने के किसी भी प्रकार का कोई ऋण न दे। एक संस्था का बकायेदार रहने पर यदि दूसरी बैंकिंग संस्था उसे ऋण देती है तब वह निश्चित रूप से बढ़ते अतिदेय का षिकार होगी। अतः ऋण आवंटन करते समय अतिदेय के पहलू को ध्यान में रखकर बैंक अधिकारियों को अधिक सजग रहने की आवश्यकता है।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के बाद सरकार ने कृषिक्षेत्र की क्रियाओं में ऋण के लिए महाजन प्रणाली को संस्थागत कृषि वित्त प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया। अग्रणी बैंक जनपद में संस्थागत वित्तीय स्रोतों के लिए वार्षिक ऋण योजना के अधीन कृषि ऋण के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करता है।

नाबार्ड अपनी स्थापना के वर्ष से ही ग्रामीण क्षेत्र को संस्थागत ऋण की उपलब्धता समय से उपलब्ध कराने का दायित्व वहन कर रहा है और ग्रामीण कृषि ऋण वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ रखने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

बैंकों ने कृषि विविधीकरण क्रियाओं के साख आवंटन एवं वितरण के प्रबन्ध में यद्यपि निर्णायक भूमिका निभाई है किन्तु तीनों ही वर्गो के बैंक व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंक अतिदेय (Overdues) के भंवर में फसें हुए है। जिसका निस्तारण उपर्युक्त सुझावों के आधार पर किया जाना आवष्यक है। कृषि वित्त प्रबन्ध की दृष्टि से तीनों ही प्रकार के बैंकों – व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंक तीनों का लक्ष्य एक ही है अर्थात् कृषिक्षेत्र के फसली एवं गैर–फसली क्रियाओं हेतु किसानों को वित्त सुविधा देकर उन्हें महाजन के शोषणात्मक चंगुल से मुक्ति दिलाते हुए उन्हे अल्पकालीन, मध्यमालीन एवं दीर्धकालीन श्रेणी के ऋण समय पर और उचित मात्रा में दिये जाय। ऋण आवंटन में तीनों ही प्रकार के बैंकों के परस्पर पूरक रूप में कार्यशील होना चाहिए प्रतिस्पर्धी नहीं, इसके लिए आवश्यक है कि जिले स्तर पर अग्रणी बैंक को तीनों वर्गो में बैंकों के बीच उचित तालमेल बैठाने के लिए एक समन्वयक (Co-ordinator) के रूप में स्वीकार किया जाय ताकि कृषि विविधीकरण क्रियाओं में ऋण आवंटन के दोहरेपन को रोका जा सके और एक समन्वित रणनीति के साथ अतिदेय की समस्या का समाधान ढूॅढा जा सके। कृषि विविधीकरण क्रियाओं में ऋण आवंटन एवं अतिदेय समाधान किया जाना आवष्यक है ताकि कृषि विविधीकरण क्रियाओं में वित्त पोषण का प्रवाह बिना किसी अवरोध के चलता रहे और कृषि विविधीकरण क्रियाएॅ समूचे कृषि क्षेत्र के विकास में उत्तरोत्तर एक सबल घटल के रूप में विकसित हो सके।

Airo International Research Journal
Volume XX, ISSUE: 1
ISSN: 2320-3714
October 2020

संदर्भ स्रोत

Multidisciplinary
Peer Reviewed Indexed Journal
Impact Factor 5.68

पुस्तक –

1. सिंह, डॉ. अरूण प्रताप, जनपद सुलतानपुर की जनांकिकीय विशेषताएँ, International Journal of Advance Educational Research, Vol. 2, Issue 5
2. देशाई बसन्त, भारत में ग्रामीण विकास, हिमालय पब्लिसिंग हाउस
3. प्रसाद डॉ. चन्द्र शेखर, भारत में कृषि एवं ग्रामीण विकास, न्यु सेन्चुरी पब्लिकेसन्स
4. हैरिस जॉन, सोसल वर्क एण्ड सोसल केयर, आक्सफोर्ड क्विक रिफेंन्स
5. अदक, ए. एस., रूरल रिकन्सट्रकसन इन इण्डिया, कर्नाटक विश्वविद्यालय, घरवाह (1974)
6. सिंह, डॉ महेन्द्र बहादुर, प्रादेशिक विकास नियोजन, तारा बुक एजेन्सी

रिपोर्ट एवं सांख्यिकीय पत्रिका

1. District Industrial Profile of Sultanpur District, MSME, Ministry of MSME, Govt of India
2. भारतीय अर्थव्यवस्था, प्रतियोगिता दर्पण, उपकार प्रकाशन
3. UNDP Report, 2018
4. Indian Census, 2011
5. India : 2017,18,19,20
6. भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2016–17, 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20